

कार्यालय,

आयकर आयुक्त-III, सूरत

कमरा नं.425, चौथी मंजिल, आयकर भवन, मजुरा गेट, सूरत-395 001

नं.सूरत/आ.आ.-III/तकनीकी/80 जी(5)/(45/7)/2008-09

दिनांक 26/03/2009

आ दे श

विषय : श्री अमरेली जिला लेऊवा पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट, 101 पल्लवी एपार्टमेन्ट, लक्ष्मी डायमण्ड के सामने, नया ए.के.रोड, वराछा रोड, सूरत - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी (5) के अधीन मान्यता -

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अधीन एतद्वारा आपको मान्यता प्रदान की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अंतर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिया गया दान दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होगा।

- 2 यह मान्यता प्रमाण पत्र दिनांक 01/04/2009 से 31/03/2012 तक की अवधि के लिए वैध है।
- नोट (क) दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और दिनांक अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र किस अवधि के लिए वैध है।
- (ख) इस मान्यता प्रमाण पत्र के ट्रस्ट/संस्था/फंड को अपने कर निर्धारण में छूट का दावा करने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्या निर्धारित अधिनियम की धारा 2(15) के अभिप्राय के अंतर्गत पूर्ण (चैरिटेबल) है और क्या धारा 11, 12, 12 ए (बी) और 13 में दी गई शर्तें पूरी होती हैं, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी इसकी अलग से जाँच करेगा।
- (ग) इस मान्यता के नवीनीकरण के लिए निर्धारण फार्म 10-जी में इस कार्यालय को आवेदन किया जाना चाहिए।

ह/-

(एस.डी.चरन)

आयकर आयुक्त-III, सूरत

प्रतिलिपि -

- 1 श्री अमरेली जिला लेऊवा पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट, 101 पल्लवी एपार्टमेन्ट, लक्ष्मी डायमण्ड के सामने, नया ए.के.रोड, वराछा रोड, सूरत
- 2 निर्धारण अधिकारी, सहा.आय.आयु., वृत्त 9, सूरत को इस निदेश के साथ कि वे सुनिश्चित करें कि आवेदक द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक स्टेटमेन्ट धारा 80-जी(5) की शर्तों को पूरा करता है।
- 3 अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रैंज-9, सूरत

(जे.जी.दवे)

आयकर अधिकारी (तक.)-III, सूरत

कृते आयकर आयुक्त-III, सूरत

